हिन्दुस्तान 08
पटना • शनिवार • 30 जून 2018

रेरा में निबंधन कराने को मची होड़

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

निबंधन के बिना काम शुरू करने वाले बिल्डरों की खोज की कवायद शुरू होते ही रीयल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी (रेरा) में निबंधन के लिए होड़ मच गई है। जून में ही 450 बिल्डरों ने निबंधन के लिए आवदेन किया है। इससे पूर्व मात्र 200 बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

शनिवार यानी 30 जनू तक रेरा ने निबंधन के लिए अंतिम समय दिया है। उसके बाद फाइन के रूप में ली जाने वाली राशि बड़ी हो सकती है। इस बीच बिल्डरों से अपने एजेंटों की सूची देने को भी कहा है, ताकि उनका भी निबंधन किया जा सके। रेरा (रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) ने अनिबंधित बिल्डरों की खोज करने के लिए सर्वे का फैसला किया है। सर्वे के लिए इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगा गया है। एजेंसी बहाल होते ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। रेरा में बहाल होने वाली सर्वे एजेंसी राज्य में काम करने वाले बिल्डरों और डेवलपरों का पता लगाएगी। इसके लिए वह नगर निकाय और पंचायतों से भी संपर्क करेगी। जहां से नक्शा पास होता है वहां से भी प्रजेक्ट की सूची ली जाएगी।

पहले किसी ने नहीं दिखाई थी रजिस्ट्रेशन कराने में रुचि

अप्रैल से जब निबंधन का काम शुरू हुआ तो पहले मात्र पांच बिल्डरों ने निबंधन कराया। उसके बाद रेरा ने बिल्डरों को नोटिस भेजना शुरू किया। तब 95 बिल्डरों ने आवेदन किया। हालांकि उसके बाद लगातार तारीख बढ़ाते हुए संस्था ने उन्हें निबंधन कराने के कई मौका दिए। लेकिन सर्वे की घोषणा होने के पहले तक इसमें गति नहीं आई।

आवेदन आये » **450** आवेदन आये निबंधन के लिए जून में | **30** जून है निबंधन की अंतिम तारीख | **01** जुलाई से शुरू होगा जुर्माने का सिलसिला